

श्रीमान
जांच की गई एक जाया डि ग्राम बैंक.आ के खाता संख्या 18,61,518, 427, 428
में ओंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह डी जगह उंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह दर्ज हो रखा है जो
वि गलत है जबकि अन्य खाते 425, 119, 306, 425 तथा ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र
आधार कार्ड में सही नाम ओंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह जो वि सही है अतः उक्त खाते
में उंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति रामपूर की जगह ओंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह दिया जाय
दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
मुताबिक रिपोर्ट पंखारी के अर्थात् ओंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह के स्थान पर उंकार सिंह पुत्र
फतेह सिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जो मुताबिक आधार कार्ड में सही नाम ओंकार सिंह
पुत्र फतेह सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट
पं. ह. की रिपोर्ट व भू. अ. नि. की जांच के आधार पर
दुरुस्ती की जांच की अभिशाना की जाती है।

2025
710

ग्रामीण अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक / 428

दिनांक:- 16-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2064-1-2 के खाता संख्या 18, 61, 518, 427, 428 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1	ओंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह शोध अस्वर	उपरोक्त अर्थात् अ. नि. के अनुसार		1) ओंकार सिंह पुत्र फतेह सिंह शोध अस्वर	उपरोक्त अर्थात् अ. नि. के अनुसार	

सं. क्र. :- 5760-61

दिनांक - 16-10-25

ग्रामीण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर

प्रतिलिपि :- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पालनाक
2) प्रो. पत्रावली

